(120)

संख्या–214/XVIII(II)/2013–19(16)/2010

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार एवं देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 11 जनवरी, 2013

विषयः–राष्ट्रीय राजमार्ग 58 एवं 72 हरिद्वार एवं देहरादून भाग में 4 लेन विस्तारीकरण से प्रभावित राजकीय भूमि/सम्पत्तियों को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में नियमानुसार पुनर्ग्रहित एवं हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्र सं0–211/VIII–NH 58 G (2009–10) दि0–12.1.2010 एवं जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र सं0–506/आठ–वि0भू0अ0अ0/देहरादून/2010 दि0–8.12.2010 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–02–02 के प्राविधानों एवं सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र सं0–NH 14019/5/2006–P&M दि0–30.3.2006 के दिशा निर्देशानुसार तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की सहमति/अनापत्ति के क्रम में जिला हरिद्वार में यथा प्रस्तावित 24.8808 है0 राजकीय भूमि को नियमानुसार पुनर्ग्रहित कर एवं जनपद देहरादून में यथा प्रस्तावित 19.6851 है0 राजकीय भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग 58 एवं 72 हरिद्वार एवं देहरादून भाग में 4 लेन विस्तारीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

––2

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8– संबंधित भूमि के पुनर्ग्रहण एवं हस्तांतरण से पूर्व एक माह के भीतर सभी विधिक बिन्दुओं पर विचार कर लिया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार पुनर्ग्रहित की जाने वाली भूमि के पट्टेधारको को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0संख्या–2।५/समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
6– अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली।
7– क्षेत्रीय अधिकारी/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।